an>

Title:Need to change the mode of disbursal of funds relating to interest subsidy on agriculture loans to farmers.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) ः किसानों को खाद, बीज व अन्य कृÂिा संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा सहकारी तथा राÂट्रीयकृत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसानों से 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है परंतु शेÂा ब्याज में से 6.7 प्रतिशत ब्याज दर केंद्र सरकार तथा एक प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारों द्वारा अदा किया जाता है, जिससे बैंकों को नुकसान न हो। बैंकों द्वारा किसानों को जो ऋण दिया जाता है, उसकी वसूली के समय किसान से तीन प्रतिशत ब्याज लेकर शेÂा ब्याज पहले प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा देकर बैंक का भुगतान कर दिया जाता है परंतु केंद्र व राज्य सरकारें द्वारा बाद में भुगतान करने के कारण प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण समितियों द्वारा किसानों को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं पर असर पड़ता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार बाद में प्राथमिक समितियों को जो ब्याज सब्सिडी का भुगतान करती है, उससे सीधे बैंकों का भुगतान कर दे तथा किसानों के ऋण भुगतान के समय अतिरिक्त ब्याज प्राथमिक सहकारी समितियों से बैंक द्वारा न लिया जाए। इससे प्राथमिक सहकारी समितियों का कार्य भी ठीक चल सकेगा तथा समिति किसानों को सुविधाएं समय पर उपलब्ध करा सकेंगी।